

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (उत्तरी), जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी।

### अल्प कालीन निविदा

उत्तरी जोन अन्तर्गत सिकरौल/शिवपुर/सारनाथ/जैतपुरा वार्ड में ब्रान्च सीवर लाइन की सफाई एवं दैनिक शिकायतों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार ठेकेदारों से निर्धारित नियम एवं शर्तों पर कार्य कराने हेतु दिनांक 25.08.2015 के अपराह्न 3.00 बजे तक सील बन्द निविदा आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन 3.30 बजे निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जायेंगे। निविदा प्रपत्र दिनांक 24.08.2015 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उत्तरी जोन से प्राप्त किया जा सकता है।

क्र.सं.	वार्ड का नाम	सीवर लाइन की लम्बाई	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य
1.	सिकरौल वार्ड	40297 Metre	50000.00	1000.00
2.	शिवपुर वार्ड	33862 Metre	50000.00	1000.00
3.	सारनाथ वार्ड	26520 Metre	50000.00	1000.00
4.	जैतपुरा वार्ड	97804 Metre	50000.00	1000.00

#### शर्तें—

- कार्य एवं निविदा के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- कार्य हेतु कम से कम 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।
- टैन नम्बर, पैन नम्बर एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र/फिक्स डिपोजिट ही मान्य होगी तथा महाप्रबन्धक जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी के नाम बन्धक होनी चाहिए। नगद तथा ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- बिना जमानत राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- किसी एक अथवा समस्त निविदा निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
- सीवर सफाई कार्य के दौरान मैनहोलों की मैन्युअली डिसिल्टिंग का कार्य नियत समय में किया जाना अनिवार्य है।
- ठेकेदार द्वारा वार्ड में लगाये गये कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका तैयार की जायेगी, जिसका सत्यापन समय-समय पर जोन के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
- यदि किसी जोनल अभियन्ता द्वारा सीवर सफाई कर्मियों की आपूर्ति लेकर सीवर सफाई कार्य कराया जाता है तो कार्य सुपरवीजन एवं आवश्यक टी0एन0पी0 की व्यवस्था वार्ड के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा प्रत्येक वार्ड में शिकायत नोट करने के लिए एक कर्मचारी रखना होगा, जो निम्न प्रारूप में शिकायतें दर्ज करेगा और पूरे महीने की सत्यापित सूचना द्विपण में बिल के साथ लगाकर प्रस्तुत करना होगा।

क्र.सं.	वार्ड का नाम	शिकायत का विवरण	शिकायत कर्ता का नाम एवं पता मोबाइल नम्बर सहित	शिकायत दर्ज करने की तारीख	शिकायत निराकरण करने की तारीख	यदि शिकायत निराकरण में कोई विलम्बर है तो उसका कारण	हस्ताक्षर सुपरवाइजर
1	2	3	4	5	6	7	8

- सीवर लाइनों की शिकायत का निराकरण 48 घण्टे के अन्दर करना आवश्यक है, अन्यथा उसमें विलम्ब होने पर अर्थदण्ड आरोपित होगा।
  - 2 से 4 दिन पर रू0 100.00 प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी।
  - 4 से 8 दिन पर रू0 300.00 प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी।
  - 8 दिन से अधिक अवधि पर रू0 500.00 प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी।
- सीवर मैनहोल की सफाई करते समय सुरक्षा उपकरणों (सैफ्टी वेल्ड, गमबुट, गैस मास्क आदि) को प्रयोग करना अनिवार्य होगा। विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- सीवर सफाई कार्य में लगाये गये कर्मचारियों की दुर्घटना/हितलाभ की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।